بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The sadr Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः सैय्यदना ख़लीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक 15.07.16 बैतुल फ़तूह लंदन।

जमाअत की सेवा को कोई तुच्छ सेवा नहीं समझना चाहिए, सरसरी रूप में नहीं लेना चाहिए। सदैव याद रक्खें, अल्लाह तआला ने यह बड़े स्पष्ट रूप से फ़रमाया है कि तुम्हारे संरक्षण में दी गई अमानतें जिनको तुम क़बूल करते हो, तुम्हारी प्रतिज्ञाएँ हैं अतः अपनी अमानतों एंव अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करो।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

कुछ समय पूर्व मैं एक ख़ुत्बः में वर्णन कर चुका हूँ कि यह जमाअत के ओहदेदारों के चयन का वर्ष है। अब अधिकांश स्थानों पर चुनाव हो चुके हैं, देशों में भी तथा स्थानीय जमाअतों में भी और नए ओहदेदारों ने अपना काम संभाल लिया है। नए आने वालों को भी अल्लाह तआला का आभारी होना चाहिए कि उन्हें अल्लाह तआला ने जमाअत की सेवा के लिए चुना, वहाँ विनम्रता पूर्वक अल्लाह तआला के समक्ष झुकते हुए अल्लाह तआला से सहायता मांगनी चाहिए कि अल्लाह तआला उन्हें इस दायित्व को पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करे जो उनके हवाले की गई है। इसी प्रकार वे ओहदेदार जिनको दोबारा चुना गया है वे भी जहाँ अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा सेवा का अवसर प्रदान किया वहाँ अल्लाह तआला से यह विनय पूर्ण दुआ भी मांगें कि अल्लाह तआला उन्हें समस्त प्रतिभाओं के साथ इन अमानतों का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तथा पिछली सेवा अवधि के समय उनसे जो त्रूटियाँ, सुस्तियाँ और ग़लतियाँ हो गईं जिसके कारण इनके हवाले की गई अमानतों का हक़ अदा नहीं हो सका, अल्लाह तआला एक तो उसे अनदेखा कर दे और फिर अपनी कृपा करते हुए जो आगे तीन वर्षों के लिए दोबारा सेवा का अवसर उसने प्रदान किया है तथा जो अमानतें उसके हवाले की गई हैं उनमें भविष्य में सुस्तियाँ, त्रूटियाँ और ग़लतियाँ न हों और इन अमानतों का अल्लाह तआला हक़ अदा करने का सामर्थ्य प्रदान करे। याद रखना चाहिए कि जमाअत की सेवा को कोई तुच्छ सेवा नहीं समझना चाहिए, सरसरी रूप में नहीं लेना चाहिए। सदैव याद रक्खें, अल्लाह तआला ने यह बड़े स्पष्ट रूप से फ़रमाया है कि तुम्हारे हवाले की गई अमानतें जिनको तुम क़बूल करते हो, तुम्हारी प्रतिज्ञाएँ हैं अतः अपनी अमानतों एंव अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करो। एक स्थान पर अल्लाह तआला ने अपने कथन में सच्चे तथा तक़्वा पर चलने वालों की यह निशानी बताई है कि وَالۡمُوۡفُوۡنَ بِعَهۡدِهِمۡ اِذَا عٰهَدُوۡا अर्थात अपनी प्रतिज्ञा को, जब कोई प्रतिज्ञा कर लें, पूरा करने वाले हैं। अतः यह एक मूल अन्तर होना चाहिए विशेष रूप से उन लोगों में जो जमाअत के कामों का दायित्व संभालते हैं कि वे सदैव सत्य मार्ग पर रहते हुए अपने तक़्वा के स्तर को बढ़ाते हुए अपने कार्य सम्पन्न करें। यदि उनकी सच्चाई के स्तर में तनिक सा

भी झोल है, कमी है, यदि उनके तक़्वा के स्तर जमाअत के एक साधारण व्यक्ति के लिए नमूना नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञा, अपने ओहदे, अपनी अमानत के हक़ को पूरा करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे। अतः अमीर तथा सदर सर्व प्रथम अपने नमूने क़ायम करें, अपनी आमला के सामने भी तथा जमाअत के अन्य लोगों के सामने भी। तर्बियत के सैक्रेट्री हैं जिनके सपुर्द प्रशिक्षण का कार्य है तथा प्रशिक्षित करने का काम उसी समय उचित रंग में हो सकता है जब नमूने क़ायम हों। जो काम करने वाला है, जिसका दायित्व है, दूसरों को उपदेश देने वाला है तो स्वयं भी इसके अनुसार कर्म करने वाला हो। अतः तर्बियत के सैक्रेट्री भी अपने नमूने क़ायम करें जमाअत के लोगों के सामने कि जमाअत के प्रशिक्षण का भार उन पर आता है। मैं कई अवसरों पर वर्णन कर चुका हूँ कि यदि तर्बियत का विभाग सक्रिय हो जाए तो अन्य अनेक विभागों के काम अपने आप हो जाते हैं। जमाअत के लोगों की तर्बियत का जितना ऊँचा स्तर होगा उतना ही अन्य विभागों का काम सरल होगा। उदाहरणतः सैक्रेट्री माल का काम सरल होगा, सैक्रेट्री उमूर-ए-आम्मा का कार्य सरल होगा, सैक्रेट्री तबलीग़ का काम सरल होगा इसी प्रकार कज़ा (न्याय प्रक्रिया) का कार्य सरल होगा। मैं प्रायः आमला की मीटिंग में कहा करता हूँ विभिन्न स्थानों पर कि प्रशिक्षण का कार्य पहले अपने घरों से आरम्भ करें और यह घर केवल तर्बियत के सैक्रेट्री का घर नहीं है बल्कि आमला के प्रत्येक मेम्बर का घर है और मज्लिस-ए-आमला सबसे बढ़ कर है कि वह अपनी तर्बियत करे। जमाअत के अमीर, सदर तथा सैक्रेट्री तर्बियत को सर्व प्रथम रक्खें तथा जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें अपनी आमला को देखना चाहिए कि वह इन प्रोग्रामों के अनुसार काम कर रही है कि नहीं। अल्लाह तआला के अधिकारों में सबसे बढ़ कर अधिकार इबादत का है तथा इसके लिए पुरुषों को यह आदेश है कि नमाज़ की स्थापना करो और नमाज़ों की स्थापना, जमाअत के साथ नमाज़ों की अदायगी है। अतः अमीर, सदर तथा ओहदेदार अपनी अपनी नमाज़ों की सुरक्षा करके इसके क़याम और जमाअत के साथ अदा करने का भरसक प्रयास करें। तो जहाँ इसके द्वारा हमारी मस्जिदें आबाद होंगी, नमाज़ सैन्टर आबाद होंगे वहाँ वे अल्लाह तआला के फ़ज़्लों के उत्तराधिकारी भी होंगे, उनकी गतिविधियों में सरलता भी उत्पन्न होगी, केवल बात करने वाले नहीं होंगे। अतः काम करने वाले पहले आत्मनिरीक्षण करें कि किस स्तर तक उनकी कथनी करनी समान है। अल्लाह तआला फ़रमाता है-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ अर्थात हे मोमिनो, वे बातें क्यूँ कहते हो जो करते नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि यह आयत बतलाती है कि दुनया में कहकर स्वयं न करने वाले भी मौजूद थे और हैं तथा होंगे। फ़रमाया कि तुम मेरी बात सुन रक्खो और ख़ूब याद कर लो कि इंसान के कथन सच्चे दिल से न हों तथा क्रिया शक्ति उसमें न हो तो वह प्रभाव पूर्ण नहीं होते।

हमारी कथनी करनी में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सर्वाधिक इस बात को सामने रखकर हमारे ओहदेदार आत्मनिरीक्षण करने वाले होने चाहिएँ। जहाँ दूरियाँ अधिक हैं अथवा केवल कुछ घर हैं और मस्जिद या सैन्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं, वहाँ घरों में नमाज़ की व्यवस्था हो सकती है और यह करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह तो एक मूल बात है इबादत तथा यही उद्देश्य है इंसान की उत्पत्ति का तथा इसका हक़ तो हमें अदा करना ही है। इसमें सुस्ती तो, विशेष रूप से ओहदेदारों की ओर से तो कदापि नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी भी मोमिन की ओर से नहीं होनी चाहिए। कोई ओहदेदार अफ़सर बनने के विचार से अथवा बनाए जाने की भावना से किसी सेवा पर नियुक्त नहीं किया जाता अपितु इस्लाम में तो ओहदेदार होने की विचार धारा ही विभिन्न है और आँहज़रत

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस प्रकार बयान फ़रमाया है कि क़ौम का सरदार क़ौम का सेवक होता है। कई बार कुछ बातें भी सुननी पड़ती हैं ओहदेदारों को, यदि सुननी पड़ें तो सुन लेनी चाहिएँ। यह निरीक्षण तो ओहदेदार अपना स्वयं ही कर सकते हैं कि उनकी सहन शक्ति का स्तर कितना है, किस सीमा तक है तथा विनम्रता की अवस्था उनकी किस सीमा तक है। कई बार ऐसे ओहदेदारों के मामले भी सामने आ जाते हैं जिनमें सहन शीलता बिल्कुल भी नहीं होती और यदि कोई दूसरी दुर्व्यवहार कर रहा है तो ये भी तू तकार शुरु कर देते हैं और ये उदाहरण कुछ स्थानों पर मिलते हैं, मस्जिदों में भी झगड़े शुरु हो जाते हैं। ये बातें बच्चों तथा नौजवानों पर बुरा प्रभाव डालती हैं।

ओहदेदारों के पास अथवा केन्द्र से रिपोर्ट भिजवाने के लिए कुछ मामले भेजे जाते हैं तो बड़ी असावधानी के साथ मामले की रिपोर्ट दी जाती है, उचित रंग में छान बीन नहीं की जाती और रिपोर्ट भिजवाई जाती है अथवा मामले को इतना लटका दिया जाता है कि यदि किसी पीड़ित व्यक्ति का कोई प्रार्थना पत्र है तो समय रहते कठिनाई दूर न होने के कारण उस पीड़ित व्यक्ति को हानि होती है अथवा कठिनाई सहनी पड़ती है। कुछ ओहदेदार अपनी व्यस्तता का भी कारण पेश कर देते हैं। कुछ के पास कोई कारण ही नहीं होता केवल ध्यान न देने का कारण होता है। यदि उनके अपने मामले हों अथवा किसी निकट सम्बंधी के मामले हों तो प्राथमिकताएँ दूसरी होती हैं। अतः वास्तविक सेवा की भावना, क़ुर्बानी की भावना, अपनी अमानत का वास्तविक हक़ अदा करना तो यह है कि बड़े ध्यान पूर्वक एक दूसरे के काम आया जावे और जब यह क़ुर्बानी की भावना तथा दूसरे की कठिनाई को अपनी कठिनाई समझ कर काम किया जाएगा तो जमाअत के लोगों का भी क़ुर्बानी का स्तर बढ़ेगा। एक दूसरे के अधिकारों के हनन के बजाए हक़ देने की ओर ध्यान होगा। हम अन्य लोगों के सामने तो यह कहते हैं कि दुनया में शांति की स्थापना तब हो सकती है जब प्रत्येक स्तर पर हक़ लेने तथा अधिकारों के हनन के बजाए, हक़ देने और बलिदान की भावना उत्पन्न हो परन्तु यदि हमारे अन्दर यह स्तर नहीं है तो हम एक ऐसा काम कर रहे होंगे जो अल्लाह तआला को नापसन्द है। फिर एक गुण जो विशेषकर ओहदेदारों में होना चाहिए, वह विनम्रता है। यदि किसी ओहदेदार के दिल में अपने ओहदे के कारण किसी भी प्रकार की बड़ाई पैदा होती है अथवा घमन्ड पैदा होता है तो उसे याद रखना चाहिए कि यह चीज़ अल्लाह तआला से दूर करती है और जब ख़ुदा तआला से इंसान दूर हो जाता है तो फिर काम में बरकत नहीं रहती। फिर ऐसा व्यक्ति जमाअत के लिए लाभ के स्थान पर हानि का कारण बन जाता है।

फिर एक विशेषता ओहदेदारों में यह भी होनी चाहिए कि वे अपने आधीन लोगों से सुन्दर व्यवहार करें। फिर इस सुन्दर व्यवहार के साथ अपने नायबों और आधीन लोगों को काम सिखाने का भी प्रयास करना चाहिए ताकि जमाअत के काम को सुन्दर रूप से चलाने के लिए सदैव कार्यकर्ता तय्यार होते रहें। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह तृत्तीय के समय में एक ओहदेदार की धारणा थी मेरे विवेक एंव मेरे परिश्रम के कारण आर्थिक व्यवस्था बड़े उत्तम रूप से चल रही है। हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह तृत्तीय को जब यह पता चला तो आपने उसे हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को इस काम पर नियुक्त कर दिया जिसको अर्थ व्यवस्था का अ और ब भी नहीं आता था परन्तु यह क्यूँकि अल्लाह तआला का काम है और ख़लीफ़-ए-वक़्त के साथ अल्लाह तआला का जो व्यवहार है इस कारण से वह नए आने वाले अफ़सर को, जिसको कुछ भी पता नहीं था, उसके काम में इतनी बरकत पड़ी कि इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था। अतः ओहदेदारों को तो अल्लाह तआला अवसर प्रदान करता है, जमाअत के कार्यकर्ताओं को तो अल्लाह

तआला यह अवसर देता है, वाक़फ़ीन-ए-ज़िन्दगी को तो ख़ुदा तआला अवसर देता है कि वे जमाअत की तथा दीन की सेवा करके अल्लाह तआला की कृपा के उत्तराधिकारी बनें अन्यथा काम तो स्वयं अल्लाह तआला कर रहा है और यह उसका वादा है इस लिए किसी के दिल में यह विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा अनुभव तथा मेरा ज्ञान जमाअत के कामों को चला रहा है।

फिर एक विशेषता जो ओहदेदारों में होनी चाहिए वह प्रसन्नता है तथा सुशीलता से पेश आना है। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا अर्थात लोगों के साथ विनम्रता और सुशीलता के साथ पेश आओ। अतः यह भी एक मूल आचरण है जो ओहदेदारों में अत्यधिक होना चाहिए। अपने आधीनों से भी जब भी बात चीत करें तथा इसी प्रकार अन्य लोगों से भी जब बात करें तो इस बात का ध्यान रक्खें कि उनके उत्तम आचरण की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अवसर पर अपने द्वारा नियुक्त यमन के अधिकारियों को यह उपदेश दिया था कि लोगों के लिए सरलता पैदा करना, कठिनाई न उत्पन्न करना और मुहब्बत और ख़ुशी फैलाना, घृणा मत फैलाना। अतः यह ऐसी नसीहत है जो ओहदेदारों तथा जमाअत के लोगों के बीच सम्बंधों में भी सुन्दरता पैदा करती है और फिर इसके फलस्वरूप आपस में, जमाअत के लोगों में भी एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने की आत्मा पैदा होती है।

फिर अमीर, सदर और सैक्रेट्रियों का यह भी बड़ा महत्त्व पूर्ण कार्य है कि केन्द्र से जो निर्देश जाते हैं अथवा सर्कुलर जाते हैं उनके अनुसार तुरन्त और ध्यान पूर्वक कार्य करें तथा करवाया जाए अपनी जमाअतों के द्वारा भी। कुछ जमाअतों के विषय में ये शिकायतें मिलती हैं कि मरकज़ के निर्देशों पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं कि अपनी बुद्धि लड़ाते हुए इस निर्देश को एक ओर रख कर दबा दिया जाए तथा उसके अनुसार काम न कराया जाए तथा न ही केन्द्र को सूचित किया जाए।

मूसियों के विषय में भी यह कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो मूसियों को यह याद रखनी चाहिए कि अपने चन्दों की यथावत् अदायगी तथा उसका हिसाब रखना प्रत्येक मूसी का कर्त्तव्य है परन्तु केन्द्रीय कार्यालय तथा सम्बंधित सैक्रेट्रियों का भी काम है कि प्रत्येक मूसी का पूरा हिसाब रक्खें तथा आवश्यकतानुसार उन्हें याद भी दिलाते रहें कि उनके चन्दे की क्या स्थिति है।

इसी प्रकार एक बात मुरब्बी और मुबल्लिग़ों के संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ। कुछ स्थानों पर मुबल्लिग़ों की यथावत् मीटिंगज़ नहीं होतीं। मुबल्लिग़ इंचार्ज इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि ये मीटिंगज़ यथावत् हों। जमाअत की तर्बियत (प्रशिक्षण) तथा तबलीग़ के कामों का भी निरीक्षण हो, जो अच्छा काम किसी ने किया है उसके विषय में चर्चा हो। इसी प्रकार जमाअत के सैक्रट्री जो जमाअतों को निर्देश देते हैं अथवा केन्द्र के निर्देशानुसार जमाअतों को जो निर्देश भिजवाए जाते हैं उसके विषय में रिपोर्ट भी दें। मुरब्बी यह भी देखा करें कि प्रत्येक जमाअत में इस सम्बंध में कितना काम हुआ है और जहाँ सैक्रेट्री सक्रिय नहीं हैं, विशेष रूप से तबलीग़ और तर्बियत और माल की क़ुर्बानी के विषय में, वहाँ मुरब्बी और मुबल्लिग़ उन्हें ध्यान दिलाएँ। अल्लाह तआला समस्त ओहदेदारों को सामर्थ्य प्रदान करे कि उनको अल्लाह तआला ने जो अगले तीन वर्षों के लिए सेवा का अवसर दिया है उसमें वे अधिक से अधिक काम अपनी समस्त प्रतिभाओं के साथ सम्पन्न कर सकें तथा अपनी प्रत्येक कथनी करनी से जमाअत में नमूना बनने वाले हों।